न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—220/2018/225 (2018/00220)

1. राकेश दत्तक पुत्र गोपाल, जाति खारोल, नि0 जगपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मनभर पत्नी कल्याण,
2. कल्याण पुत्र देवी,
3. जोधाराम पुत्र जगदीश,
4. रामकिशन पुत्र जगदीश,
5. देवा पुत्र श्रीलाल,
6. गोकुल पुत्र श्रीलाल,
7. रतनी पत्नी स्व0 गोपाल,
8. प्रेम पुत्र लादू,
   सभी जाति खारोल, नि0 जगपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर।
9. राज0सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 15.3.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 82/2017.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः— 29.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय दिनांक 15.3.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ग्राम जगपुरा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या नया 378 पुराना 101 खसरा नंबर 3594 रकबा 3—13—00 बीघा अवस्थित है । यह आराजी रतनी बेवा गोपाल, राकेश दत्तक पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2, प्रेम पुत्री लादू हिस्सा 1/2 कौम खारोल साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है । इसी भूमि के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमिखसरा नंबर 3585 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा व खवसरा नंबर 3587/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा स्थित है । प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नंबर 3594 में काश्त करने हेतु हल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली, आम सड़क केकड़ी सरवाड से होते हुए खसरा नंबर 3587/3 व खसरा नंबर 3595 की दक्षिणी पूर्वी मेर के

सहारे होकर अपने उक्त खसरा नंबर 3594 में पीढ़ियों से लगातार बिना किसी अवरोध के आता जाता रहा है । इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी पिछले 100 वर्षो से उक्त रास्ते का उपयोग कर रहा है । अप्रार्थीगण दिनांक 10.9.2017 से प्रार्थीगण के एकमात्र उक्त कदीमी रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है जिससे प्रार्थी अपने खेत की फसल उपज लाने ले जाने से खेती करने से वंचित व बाधित हा रहा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नंबर 3594 में आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने से जो कदीमी रास्ता खसरा नंबर 3595 व 3587/3 की दक्षिणी पूर्वी मेर के सहारे होकर मुख्य सड़क से आता जाता है, उक्त रास्े में किसी प्रकार का कोई अवरोध या बाधा कारित नहीं करे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 15.3.2018 से प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्त उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 3 से 8 अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आराजी खसरा नंबर 3594 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा के अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 7 व 8 खातेदार काश्तकार है । अपीलांट की उक्त खातेदारी आराजी के में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी के समीपस्थ स्थित आराजियात खसरा नंबर 3595 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 3587/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में दक्षिणी पूर्वी मेड के सहारे रास्ता बना हुआ है जिस पर से होकर लगभग 100 वर्षो से वादी/अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से उक्त रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न की जा रही है इसीलिये अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 पेश किया था । अपीलांट की आराजी में आवागमन हेतु इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को अपीलांट के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु रेस्पो0 को पाबंद किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट गरीब, अपनढ़ काश्तकार है जिसे उनके अधिवक्ता ने प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं होकर आवश्यकता होने पर सूचना दिये जाने का आश्वासन दिया गया था इसलिये वे प्रत्येक पेशी पर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते थे। अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई । हाल ही में दिनांक 2.7.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर रास्ता में आवागमन हेतु बाधित किये जाने पर

स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज होने की जानकारी हुई तत्पश्चात् अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस रास्ते बाबत् कथन किया है ऐसा कोई रास्ते मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में नहीं है । अपीलांट अन्य रास्ते से अपनी खातेदारी आराजियात पर आवागमन करता रहा है । अपीलांट ने रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 3587 व 3587/3 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ के सहारे होकर मुख्य सड़क तक रास्ता होने का कथन किया है किन्तु उक्त रास्ते के संबधं में अपीलांट ने कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 खसरा नंबर 3587 व 3587/3 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । रास्ते बाबत् राज0काश्त0अधि0 1955 के अंतर्गत धारा 251–ए के प्रावधान बने हुए है अपीलांट को यदि अपनी खातेदारी आराजी में रास्ते की आवश्यकता है तो इस संबंध में अपीलांट राज0काश्त0अधि0 251–ए के तहत अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । अपीलांट राज0काश्त0अधि0 की धारा 212 के तहत रास्ते बाबत् किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.3.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर